अपील सूचना अधिकार संख्या 27/2018 महेन्द्र कुमार मेहता पुत्र श्री भगवान दास निवासी 139 मुकर्जी नगर, श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.05.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता स्वयं उपस्थित। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का कथन है कि उसने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत किया था। जिसमें उसने दो बिन्दुओं पर सूचना चाही थी, जो उसे चाहे अनुसार उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अपीलार्थी का कथन है उसके द्वारा बिन्दु संख्या 02 की सूचना 2006, 2010,2011 एवं 2013 की चाही गई है। विभाग के उत्तर दिनांक 09.04.2018 के द्वारा वर्ष 2011 की सूचनाओं के सम्बन्ध में 31.03.2012 तक की पत्रावलियां तल्फ(Weed) की जानी बताई है, किन्तु इसके बाद की सूचना वर्ष 2013 की उपलब्ध करवाई जा सकती थी, जो नहीं करवाई गई है इसलिए उपलब्ध रिकॉर्ड की सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

1. केरोसीन तेल गाडी संख्या 34 देवेन्द्र ऑयल कम्पनी क्र. 2955–2970 दिनांक 07.04.2011 को हरीश कुमार पुरूषोत्तम दास को 500 ली. तेल परमिट पर देने के लिए दिया था। इस तेल को प्राप्त करने वाले उपभोक्ता/छात्र करने वाले उपभोक्ता का प्रार्थना पत्र की कॉपी व दिये गये तेल के आदेश की प्रति/रजिस्टर मेंदर्ज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये। प्रतिमाह दिये गये परमिटों की कॉपी/रजिस्टर उपलब्ध करवायें। जब तक उक्त रोस्टर चला तब तक।

योगेश ऑयल कम्पनी , श्रीगंगानगर को रोस्टरों में प्रति माह जो केरोसीन छात्र परमिटों के लिए दिया गया था, प्रति माह इस तेल को छात्र परमिटों पर दिया है। प्राप्त करने वाले छात्र/उपभोक्ता के प्रार्थना पत्र की कॉपी व कार्यालय से जारी छात्र परमिट के आदेश की प्रति/रजिस्टर में दर्ज की प्रमाणित प्रतियां।

2.

(1)	क्र.स. 6688–6878	02.08.2011 गाडी संख्या 34	1000 ली.	हेमराज सुरेन्द्र प्रकाश
(2)	क्र.स. 2955–2970	07.04.2011 गाडी संख्या 26	1000 ली	हेमराज सुरेन्द्र प्रकाश
(3)	क्र.स. 2060–2075	05.06.2006 गाडी संख्या 07	500 ली	हेमराज सुरेन्द्र प्रकाश
(4)	क्र.स. 7327–7332	24.04.2013 गाडी संख्या 10	1000 ली	हेमराज सुरेन्द्र प्रकाश
(5)	क्र.स. 15649–15661	08.11.2013 गाडी संख्या 35	1000 ली	हेमराज सुरेन्द्र प्रकाश
(6)	क्र.स. 19411–19600	01.11.2010 गाडी संख्या 03	500 ली	सचदेवा ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर
(7)	मार्च	04.03.2013 गाडी संख्या 33	800 ली	कुमार ब्रदर्स
(8)	अगस्त 2013	08.08.2013 गाडी संख्या 36	1200 ली	सचदेवा ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर

लो.सू.अ. एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 6353 दिनांक 14.05.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि खाद्य विभाग के आदेशानुसार डीलर को एक वर्ष तक का ही वितरण सम्बन्धित रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होता है। आपके द्वारा वांछित सूचना लगभग सात वर्ष पुराने रिकॉर्ड से सम्बन्धित है। अतः सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।

बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वर्ष 2011 की सूचना चाही है। मुताबिक रिकॉर्ड गेहूँ/केरोसीन/चीनी वितरण की 31.03.2012 तक की पत्रावलियां तल्फ (Weed) की जा चुकी है। अतः वांछित सूचना दी जानी सम्भव नहीं है। अतः वांछित सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।

बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में प्रार्थी का कथन है कि केरोसनी तेल के छात्र परमिट व अन्य पत्र जो कार्यालय में आवेदन आये, उनकी कॉपी नहीं दी गई है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्य विभाग के आदेशानुसार डीलर को एक वर्ष तक का ही वितरण सम्बन्धी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होता है तथा दिनांक 31.03.2012 तक की पत्रावलियों तल्फ (Weed) करने के कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जानी सम्भव नहीं थी।

बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2013, 08.08.2013, 04.03.2013 व 08.11.2013 की सूचना जान बूझ कर नहीं देने का आरोप लगाया गया है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस अवधि के छात्र परमिट सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को नहीं दिया गया।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थी को रिकॉर्ड अनुसार सूचित किया गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P 7

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **चूंकि बिन्दु संख्या 01 में वर्ष 2011 से सम्बन्धित केरोसीन तेल गाडी संख्या 34 देवेन्द्र ऑयल कम्पनी क्रम 2955–2970 दिनांक 07.04.2011 को हरीश कुमार पुरूषोतम दास को 500 ली. तेल परमिट पर देने के लिए दिया** था और इस तेल को प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं आदि के वितरण के सम्बन्धित अभिलेख की प्रतियां चाही थी और जो जिला रसद अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 14.05.2018 के अनुसार खाद्य विभाग के आदेशानुसार सम्बन्धित डीलर को एक वर्ष का वितरण सम्बन्धी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होता है। **दिनांक 31.03.2012 तक की पत्रावलियां**

2/1/2
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P T O

तल्फ(Weed) **की जा चुकी है और** अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2018 में उक्त अभिलेख की प्रतियां चाही गई ~~है~~ **इसलिए अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 में दिया गया उत्तर सही है और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।**

जहां तक बिन्दु संख्या 02 में प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.03.2013, 08.08.2013, 04.03.2013 व 08.11.2013 से सम्बन्धित अभिलेख की प्रतियां चाही है, जिसके सम्बन्ध में दिया गया उत्तर की परमिट सम्बन्धी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है, **जो सही प्रतीत नहीं होता है। जिसके लिए जिला रसद अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि अपीलार्थी की बिन्दु संख्या 02 से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलाश कर, जो रिकॉर्ड उपलब्ध हो, उसकी सूचनाएं अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से **स्वीकार की जाती** है और लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि **बिन्दु संख्या 02 की सूचनाएं उक्त विवेचना अनुसार अपीलार्थी प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जावे।** आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को पालना हेतु भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो यह आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना राम

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर